न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 26 / 2019

1. श्री रंगलाल पुत्र गोपी कौम रावत
2. मानसिंह पुत्र देवा जाति रावत निवासीगण उदयगढखेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 30.05..2019

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि मौजा भिनाय, पटवार मण्डल भिनाय–ए व भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता सं. 594 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1179 रकबा 0.34, 1180 रकबा 0.20, 1181 रकबा 0.12, 1182 रकबा 0.33 कुल किता–4 रकबा 0.99 भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज भूमि हैं जिसमें प्रार्थीगण का नाम क्रमशः रंगाराम पि. गोपी व महासिंह पि. देवा दर्ज कर दिया गया है जो गलत हैं जबकि प्राथीगर्ण का सही नाम रंगलाल पि. गोपी व मानसिंह पि. देवा कौम रावत हैं। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का सही नाम दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस न्यायालय में तलब किया गया। उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने प्रार्थी का नाम गलत दर्ज किया जाना स्वीकार किया। उभयपक्षान को सुना जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा ग्राम उदयगगढ खेडा की जमाबंदी 2074–77 खाता सं. 90 खाता सं. 117, ग्राम धांतोल की जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता सं. 101, प्रार्थी का आधार कार्ड, जवाब पैराकार सरकार का गहनता से अध्ययन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिए जाते है कि मौजा भिनाय, पटवार मण्डल भिनाय–ए व भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता सं. 594 में दर्ज आराजी खसरा नं. 1179 रकबा 0.34, 1180 रकबा 0.20, 1181 रकबा 0.12, 1182 रकबा 0.33 कुल किता–4 रकबा 0.99 भूमि पर राजस्व रिकॉर्ड में रंगाराम पि. गोपी के स्थान पर रंगलाल पि. गोपी कौम रावत व महासिंह पि. देवा के स्थान पर मानसिंह पि. देवा कौम रावत दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किए जाते है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें। राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण अमल दरामद की कार्यवाही की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 16:51:28 IST
Reason: SelfAttested